

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- /2015/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009
देहरादून: दिनांक: 14 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन की अधिसूचना संख्या 74/XXVII(9)/स्टाम्प/2008, दिनांक 25 अप्रैल, 2008 का प्रस्तर-2 को इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से विखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या - 167 (1)/2015/XXVII(9)/स्टाम्प -80/2009 तददिनांकित।

- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
 2. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड।
 3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
 4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
 5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
 6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(महामंत्री, आईपास रोड, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिसिया नं0-6 के समीप)

पत्रांक : 376/म0नि0नि0/2015-16

दिनांक : 14 सितम्बर, 2015

सेवा में,

समस्त जिला निबन्धक,
समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/
समस्त उप निबन्धक,
उत्तराखण्ड।

महोदय,

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0 आर0 जोशी)

प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन
(मुख्यालय)